न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील /51/2011

1–मन्दिर श्री लालजी महाराज गढी सांवलदास द्वारा महन्त श्री शिशुपालदास चेला श्री सीतरामदास जाति बैरागी निवासी गढी सावंदास भरतपुर तहसील भरतपुर
2–तहसीलदार भरतपुर

.....अपीलार्थी

बनाम

1– उमेश चन्द दत्तक पुत्र रामचरनलाल जाति वैश्य निवासी सावलियाराम कसेरे वाली की गली दुकान गंगा मन्दिर भरतपुर **(मृतक)**
1/1–तनु अग्रवाल पुत्री उमेशचन्द । जाति वैश्य निवासी गंगा मन्दिर
1/2–श्रीमती सन्ध्या पत्नी स्व उमेशचन्द । भरतपुर तहसील व जिला भरतपुर
1/3–श्रीमती रुपल पुत्री स्व0 उमेशचन्द ।

..... रेस्पो.

अपील अन्तर्गत धारा 75 भूराजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध आदेश तहसीलदार भरतपुर बाबत नामान्तकरण 634 दिनांक 01.06.1962 कस्बा भरतपुर तहसील व जिला भरतपुर

———

उपस्थितः–
1–श्री महाराजसिंह डांगुर अभिभाषक अपीलान्ट,
2–पैरोकार सरकार , अपीलान्ट न. 2
2–श्री कृष्ण कुमार सिंघल, अभिभाषक रेस्पो.

निर्णय **दिनांक 20.05.2026**

अपीलान्ट ने यह अपील विरुद्ध रेस्पो0 वखिलाफ आदेश न्यायालय तहसीलदार भरतपुर, नामान्तकरण संख्या 634 दिनांक 01.06.1962 कस्बा भरतपुर तहसील व जिला भरतपुर के खिलाफ पेश की गई है। अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 634 रामचरन लाल पुत्र सामलिया कौम वैश्य सा. गंगामन्दिर गैर मोरुसी से रामचरन लाल पुत्र सामलिया को खातेदार दर्ज किया जाकर स्वीकार किया गया है। उक्त नामान्तकरण के खिलाफ अपीलान्ट ने यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 08.11.2011 को पेश की है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो. की तलबी की गई। योग्य अभिभाषक उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई।

.....2

जिला कलक्टर
भरतपुर

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमो में अंकित कथनों को दोहराते हुये बताया कि आराजी खसरा नम्बर 1119/1–5 चक नं. 1 भरतपुर में स्थित है। मंदिर श्रीलाल जी महाराज गढी सावलदास भरतपुर के पुजारी महन्त श्री दामोदरदास चेला हरीदास कोम बैरागी रामानंदी साकिन गढ़ी सावलदास के स्थान पर रेस्पो. के पूर्वज रामचरनलाल पुत्र सामलिया कौम वैश्य के नाम विवादित नामान्तकरण धारा 15 आर.टी.एक्ट के तहत स्वीकृत किया गया है। विवादित आराजी मंदिर श्री लालजी महाराज गढी सावंलदास की माफी की आराजी है जिस पर मालिक के खाने में उसके महन्त श्री दामोदरदास को अंकित किया हुआ है रजिस्टर में यह आराजी उक्त मूर्ति महाराज की माफी में दर्ज है। योग्य अभिभाषक अपीलान्ट का कहना है कि मूर्ति की माफी एवं जरिये महन्त खुद काश्त में होने के कारण धारा 10 राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मूर्ति को इस आराजी पर स्वतः ही खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है। धारा 15 आर.टी.एक्ट के प्रावधान इस प्रकरण में लागू नहीं होते हैं। पुराने अभिलेख जमावंदी स0 1982 के खाता संख्या 308 खेवट संख्या 27/26 पर यह आराजी हरीदास चेला सामलदास कोम बैरागी रामानंदी साकिन गढीसामलदास अंकित है तथा खाना नम्बर 5 में मकबूजा माफीदार एवं खाना नम्बर 10 में किस्म गैर मुमकिन बगीची अंकित है। इस प्रकार यह भूमि मूर्ति माफी की है इस पर किसी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। तहत न्यायालय ने पुराने रिकार्ड पर ध्यान नहीं दिया और जल्दबाजी में नियम विरुद्ध अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया जो खारिज योग्य है। योग्य अभिभाषक का यह कहना है कि माफी मंन्दिर की भूमि पर कोई शिकमी या गैरमौरोसीदार दर्ज नहीं हो सकता हैं और ना ही उसे खातेदारी दी जा सकती है। धारा 15 आर.टी.एक्ट के तहत खातेदारी देने का अधिकार न्यायालय सहायक कलेक्टर को है, अपीलाधीन आदेश आरम्भ से ही शून्य है। मूर्ति मंदिर की जायदाद पूर्व आराजी की उसके महन्त सावलदास हरीदास व दामोदरदास और अब शिशुपालदास आदि चेला पद्वति से देखभाल करते चले आ रहे हैं। योग्य अभिभाषक का तर्क है कि अपीलाधीन नामान्तकरण की जानकारी नकल लेने दिनांक 25.4.2011 को हुई। इसलिये यह अपील बिना किसी देरी के पेश की जा रही है अपील की देरी को माफ करने के लिये प्रार्थना पत्र धारा 5 म्याद अधिनियम पेश किया गया है। योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने कथनों के समर्थन में रुलिंग आर.आर.डी. 1984 पेज 1,5व 7, आर.आर.डी. 1996 पेज 316, आर.आर.डी. 1987 पेज 261, आर.आर.डी. 2015 पेज 566 एलबी उद्धरित करते हुये अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई।

योग्य अभिभाषक रेस्पो. ने अपने कथनों में बताया कि अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 634 गैर मोरुसी से खातेदारी का स्वीकार किया गया है जिसमें तहत न्यायालय ने कोई त्रुटि नहीं की है। उनका कहना है रेस्पो. के पूर्वज कॉलम 5 में गैर मौरुसी काश्तकार दर्ज हैं इसी आधार पर धारा 15 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत गैर मौरुसी से खातेदारी दर्ज की गई है। उन्होंने बताया कि आरआरडी 1987 भरतपुर रैवन्यू कोड में है कि अगर कोई गैर मोरुसी दर्ज है तो उसे खातेदार दर्ज किया जावे। दाखिल खारिज में मूर्ति मंदिर का कहीं

.....3

जिला कलक्टर
भरतपुर

नाम नहीं है। योग्य अभिभाषक का कहना है कि जब माफी रिज्यूम हुई जो व्यक्ति 1952 में काश्त पर थे उन को खातेदारी अधिकारी मिल गये । विवादित आराजी पर हमारा 1952 से पजेसन है। यह अपील 49 साल बाद पेश की गई है जो म्याद बाहर होने से खारिज योग्य है। योग्य अभिभाषक का तर्क है कि नामान्तकरण एक फिसकल प्रोसिंडिग है इस में किसी पक्षकारान हक हकूक तय नहीं होते हैं। शिशुपालदास का विवादित आराजी में चेला के होने का कोई रिकार्ड पेश नहीं किया गया है। विवादित आराजी को लेकर एक दावा उपखण्ड अधिकारी भरतपुर के न्यायालय में विचाराधीन है। जिस में पक्षकारान के हक हकूक तय होने हैं। योग्य अभिभाषक ने अपने कथनों के समर्थन में आर.आर.डी. 2000 पेज 15, आर.आर.डी. 2000 पेज 189, आर.आर.डी. 2001 पेज 411, आर. आर.डी. 1987 पेज 202 उद्धरित करते हुये अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने की प्रार्थना की।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया । योग्य अभिभाषक उभय पक्ष के कथनों पर गौर किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज फोटो प्रतियों का गहन अध्ययन किया गया। विचाराधीन अपील, अपीलान्ट ने नामान्तकरण संख्या 634 चक नं. 1 भरतपुर आदेश तहसीलदार भरतपुर तारीखी 01.06.1962 के खिलाफ इस न्यायालय में दिनांक 08.11.2011 को पेश की गई है। अपीलान्ट ने विवादित आराजी पर कथित मूर्ति मंदिर की आराजी की उसके महन्त सांवलदास हरीदास व दामोरदास और अब शिशुपालदास (अपीलान्ट) चेला पद्धति से देखभाल करने बताते हुये ये अपील पेश की है। अपीलान्ट ने यह अपील 49 साल की देरी से पेश की गई है। प्रार्थना पत्र धारा 5 म्याद अधिनियम में 49 साल की देरी के बारे में कोई विस्तृत उल्लेख नहीं किया है, 49 साल की देरी के लिये केवल यह लिख देना की दिनांक 25.4.2011 को अपीलाधीन आदेश की जानकारी होने पर अपील पेश की गई पर्याप्त नहीं है।

आर.आर.डी. 1991 पेज 415 में प्रतिपादित किया गया है :–

(B) Limitation Act, Section 5 –Applicants had miserably failed to show sufficient casus which prevented them from filing the application within prescribed period of limitation- Held appellate court had exersied its discretion judiciously and rightly in rejecting the application for condonation of delay. Para(6).

अपील असीमित देरी से 49 साल बाद म्याद बाहर पेश की गई है, धारा 5 म्याद अधिनियम स्वीकार योग्य नहीं रहता है।

विवादित आराजी में अपीलान्ट की विरासत एवं पक्षकारान के हक हकूक तय होने हैं। नामान्तकरण कार्यवाही एक फिसिकल प्रोसिंडग है। इसमें पक्षकारान के हक हकूक विरासत succession तय नहीं किये जाते हैं। जैसा कि राजस्थान

.....4

भू–राजस्व अधिनियम 1956 एवं उसके अधीन बनाऐ गये नियमों के अनुसार नामान्तकरण कार्यवाही एक सार–संक्षिप्त (Summary) प्रक्रिया है। जिसमें स्वामित्व का अंतिम निर्धारण नहीं किया जाता, अपितु उपलब्ध अभिलेखों एवं प्रथम दृष्टया अधिकार के आधार पर प्रविष्टि की जाती है।

पत्रावली में उपलब्ध सत्यप्रतिलिपि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भरतपुर दावा मु.न. 73/2025 उनवानी मन्दिर श्री लालजी बनाम तनुज गर्ग विवादित आराजी को लेकर अपीलान्ट ने पेश किया हुआ है जो आज भी विचाराधीन है। अपीलान्ट/वादी ने यह दावा घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा के लिये वाद अन्तंर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विवादित आराजी को लेकर पेश किया हुआ है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भरतपुर द्वारा तनकीयात कायम की जाकर साक्ष्य सबूत लिये जाकर निर्णय किया जाना है।

आर.आर.डी. 2005 पेज 85 में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने प्रतिपादित किया है कि:–

"..... Rajasthan land Revenue Act, Section 135- Revision against the order of Addl.Commmissioner- Held, dispute about succession of the deceased is very old and suit No.403/84 is pending in the court of Asstt.Collector, u/s 88,188 R.T,Act- Mutation No 900 attested by Tehsildar after enquiry-Mutation proceeding is fiscal proceeding-Matter relating to will, gift, and succession cannot be decided by mutation proceedings-Rights of the parties will be decided in the pending suit by the court-It is not proper to investigate about mutation when suit is pending....."

अस्तु अपील अपीलान्ट काबिल खारिज के रहती है।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पक्षकारान विवादित आराजी में अपने हक हकूक succession दावा में तय करावें

निर्णय आज दिनाक 20.05.2026 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(कमर उल जमान चौधरी)
जिला कलक्टर,
भरतपुर